न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-642RAAJodhpur2025-334RTA225 Keseedevi Vs Sdo Bhopalgarh etc.

केसी देवी पत्नी श्री नरसिंह राम जाति मेघवाल, निवासी–झालमलिया, तहसील भोपालगढ़, ज़िला जोधपुर, राजस्थान।

अपीलान्ट

ब

ना

म

1. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़ जिला जोधपुर, राजस्थान
2. ओमाराम पुत्र श्री खिया राम, जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
3. राजाराम पुत्र श्री खिया राम, जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
4. रामसुख पुत्र श्री गणेश राम, जाति मेघवाल, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री चन्द्राराम, जाति विश्नोई, निवासी निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
6. घेवर राम पुत्र श्री नेनाराम, जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
7. छोगाराम पुत्र श्री गुणेश राम, जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
8. पपाराम पुत्र श्री चन्द्राराम जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
9. रामसुख पुत्र श्री राजू राम जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
10. श्यामलाल पुत्र श्री चन्द्राराम जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
11. जेठाराम पुत्र श्री धुलाराम जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
12. बाबूलाल पुत्र श्री धुलाराम जाति विश्नोई, निवासी झालमलिया, तहसील भोपालगढ, ज़िला जोधपुर।
13. तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर।

रेस्पो.....

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 सितंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र सं 124/2024 अनवान ओमाराम व अन्य बनाम केसी देवी इत्यादि

उपस्थित–
श्री गिरीश सांखला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पुखराज विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो व तीन, पांच से बारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या तेरह

नि र्ण य

दिनांक : 12 मई, 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 124/2024 अनवान ओमाराम व अन्य बनाम केसी देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 70 रकबा 1.5702 हैक्टेयर ग्राम झालामलिया तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु अपीलार्थीनी व अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 65, 52 व 51 में से 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 सितंबर 2025 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. संख्या दो व तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ओमाराम व राजाराम के द्वारा अपने खेत में जाने के लिये खसरा संख्या 51, 52 व 65 में से एक नये रास्ते की मांग करते हुये धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि खसरा संख्या 51, 52 व 65 में किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट्स लम्बे समय से खसरा नंबर 43, 35, 37, 40 व 42 की पूर्वी माठ से होते हुये आ–जा रहे है जो नजदीकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ता भी है और ये जमीन इनकी पुश्तैनी जमीन है। उक्त कथन के संबंध में न तो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं और न ही मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त पटवारी के द्वारा कोई जांच की गई, बल्कि अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी को सुनवाई का न तो अवसर दिया गया और न ही उनके द्वारा जवाब में उठाये गये एतराजों के संबंध में कोई विवेचन किया गया। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय भी अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी को न तो उपस्थित होने के संबंध में कोई नोटिस दिया गया, बल्कि मनमाने तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई। पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी के जवाब में दिये गये कथनों का समर्थन यह कहते हुये मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया है कि रैस्पो. संख्या दो व तीन अपने आस–पास के खाली पड़े खातेदारी भूमि के इर्द–गिर्द होकर आवागमन करते हैं, लेकिन यह नहीं बताया है कि किन खसरा संख्या में से होकर और कब से आवागमन करते आ रहे हैं। पटवारी हल्का ने दिनांक 11–12–2024 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट में मौके के बारे में कथन किया है कि वर्तमान में मौके पर खसरा नंबर 70 के खातेदार को रास्ते की अति आवश्यकता है और वैकल्पिक तौर पर खसरा नंबर 66 व 68 के दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे आगे खसरा नंबर 51 व 52 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे से आवागमन करते आ रहे है। वादी के द्वारा चाहा गया रास्ता की लम्बाई व वैकल्पिक रास्ते की लम्बाई समान है निकटतम है। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 26–06–2025 को तैयार की गई दूसरी मौका रिपोर्ट में उनके द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि पहले खसरा नंबर 66 व 68 के दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे मौके पर रास्ते के रूप में निशानात थे, लेकिन वर्तमान में खसरा नंबर 68 के खातेदार ने पूर्वी माठ के सहारे–सहारे कटाणी रास्ते के पास पक्की दीवार निकालकर बंद कर दिया गया और प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 68 व 66 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त खसरों के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद सुना नहीं गया और न ही प्रार्थीगण को उक्त खातेदारों को पक्षकार बनाने के संबंध में कोई निर्देश दिया गया और न ही पटवारी हल्का ने उक्त खातेदारों के खेत से रास्ते की दूरी कितनी है, का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि खसरा नंबर 66 व 68 से भी रास्ता सम्भव था, लेकिन उसे यह कहकर छोड़ दिया गया कि, वहां दीवार है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई जांच नहीं की गई कि मौके पर बनी दीवार वैध या अवैध है और उसे हटाया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवहारिकता एवं बांधा की वैधता का परीक्षण किये बिना ही निष्कर्ष निकाला है जो गलत है, इसके अलावा न तो पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 51 व 52 के बारे में और न ही खसरा संख्या 51 व 52 के खातेदारों ने अपने उक्त जवाब में यह बताया कि वह किस रास्ते से शुरू से आवागमन करते आ रहे हैं, क्योंकि खसरा नम्बर 51 व 52 के खातेदार प्रार्थीगण/रेस्पो. के ही रिश्तेदार हैं जो स्वयं अपने पुश्तैनी रास्ते से ही आते-जाते रहे हैं, जिसका रेस्पो. भी सालों से प्रयोग करते आ रहे है, लेकिन अपने खेत में से और रास्ते सड़क तक निकालने की गरज से अप्रार्थी/अपीलाट केसी देवी को तंग परेशान करके आपस में मिलीभगती करके उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/रेस्पो. के द्वारा पेश किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो./प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 21–06–2024 को प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था एवं पटवारी महोदय द्वारा रिपोर्ट 6 माह बाद दिनांक 11–12–2024 को तैयार की गई जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में वादी द्वारा खसरा संख्या 65 में चाहा गया रास्ता अप्रार्थी रामसुख पुत्र गणेशाराम के हिस्से में आया हुआ है, जिसे उसने आवासीय में संपरिवर्तन करवा लिया है, लेकिन इसके संबंध में पटवारी महोदय द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर पेश नहीं किये गये है। उक्त वैकल्पिक रास्ते को खसरा संख्या 66 व 68 में से पटवारी हल्का ने अप्रार्थी रामसुख के हिस्से में आई हुई जमीन के लम्बाई के समान और निकटतम बताया जबकि अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी के हिस्से में आए हुए खेत में से दूरी वैकल्पिक रास्ते की तुलना में काफी ज्यादा है जो मौका रिपोर्ट देखने से ही साबित हो जाता है। पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 26–06–2025 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी के खेत के बारे में अधूरा कथन किया गया है कि खसरा नंबर 883/65 केसी देवी के नाम दर्ज है, जिसकी वर्तमान मौका स्थिति में उत्तरी–पूर्वी कॉर्नर पर पानी का पक्का टांका व कच्चा झोपड़ा बना हुआ है। पूर्वी दिशा की तरफ रास्ते पर उत्तरी व दक्षिणी कॉर्नर पर कच्ची दीवार निकाली हुई है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में रास्ते का कोई निशानार्थ नहीं है, बल्कि वास्तविकता में वहां पर अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी का रहवासी पक्का मकान शुरू से ही बना हुआ है, जिसका वर्णन पटवारी हल्का ने

राजस्व अपील अधिकारी

प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगणों से मिलीभगती करके जानबूझकर उक्त तथ्यों को छिपाया है, जिसकी पुष्टि पटवारी महोदय के द्वारा तैयार की गई दोनों मौका रिपोर्ट से हो जाती है, जिसमें अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी का उपस्थिति के संबंध में अगूंठा निशान नहीं है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी की मौके पर उपस्थिति आवश्यक थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार को रास्ता उसी स्थान से दिया जाना चाहिये, जहां न्यूनतम नुकसान होने की सम्भावना हो, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी के पक्के निर्माण को नजरन्दाज करते हुये लम्बे मार्ग का निर्धारण किया गया है, जिससे अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी को काफी ज्यादा नुकसान कारित होने की सम्भावना है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य उपलब्ध वैकल्पिक रास्तों के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं किया और न ही स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि कौन सा मार्ग अधिक छोटा व सुविधाजनक है व किस मार्ग के दिये जाने से कम नुकसान होगा, बल्कि अपीलकर्ता की आपत्तियों पर विचार ही नहीं किया गया, बल्कि बिना सोच विचार के सीधा एक रास्ता चुन लिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सबसे कम नुकसान कारित होने के सिद्धान्त का पालन ही नहीं किया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी केसी देवी के द्वारा अपने जवाब में बताये गये वैकल्पिक रास्ते के बारे में भी पटवारी से कोई जांच नहीं करवाई और अपने आदेश में भी यह नहीं बताया कि प्रार्थी के लिये कितने रास्ते वास्तविकता में उपलब्ध है और उनमें से कौन सा रास्ता सबसे छोटा व उचित है। अन्य रास्तों से तुलनात्मक विश्लेषण किये बिना मनमाने रूप से मार्ग निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना व एकतरफा होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–09–2025 को निरस्त किया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनवान रामप्यारी व अन्य बनाम अजमेर राजस्व न्यायालय एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11548/2018 एवं अनवान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कान नाथ व अन्य बनाम राजस्व न्यायालय अजमेर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12318/2023 में पारित निर्णयों की नजीरें पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम बताया गया है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. संख्या दो व तीन के आवागमन हेतु केवल वैकल्पिक रास्ते के कथन किये गये है। उनके द्वारा किसी भी दस्तावेज के जरिये वैकल्पिक रास्ता साबित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–ए की मंशा अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता नें प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्यापान्त सम्मीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 11.12.2024 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन के खातेदारी खसरा नंबर 70 में आवागमन हेतु अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पो. के खातेदारी खेत खसरा नंबर 51, 52 तथा खसरा नंबर 884/65 व 68, 66 की मांठ के सहारे सहारे लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। खसरा नंबर 884/65 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने से विचारण न्यायालय द्वारा तलब द्वितीय मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 में रेस्पो. संख्या दो व तीन के आवागमन हेतु खसरा नंबर 51, 52 एवं खसरा नंबर 883/65 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 86/65 कॉर्नर में पक्का टांका होने से उक्त टांके का छोड़ते रास्ता प्रस्तावित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट उज़ है कि प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन की भूमि खसरा नम्बर 70 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 34, 35, 37, 40 व 42 में से रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पो. संख्या दो व तीन की भूमि वर्तमान में किसी भी कटाणी रास्ते से जुड़ी हुई नहीं है तथा अपीलांट द्वारा उक्त वैकल्पिक रास्ते बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। लिहाजा अपीलांट का उक्त उज़ स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 124/2024 अनवान ओमाराम व अन्य बनाम कसी देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 सितंबर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपीलाधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपीलाधिकारी
जोधपुर